उत्तर प्रदेश कौर्नियल ग्राफ्टिंग अधिनियम, 1964

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 1964)

THE UTTAR PRADESH CORNEAL GRAFTING ACT, 1964

(U.P. Act No. XXIII of 1964)

उत्तर प्रदेश कौर्नियल ग्राफ्टिंग अधिनियम, 1964[1]

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 1964]

[उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 31 मार्च, 1964 ई0 तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 4 अगस्त, 1964 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया।

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 28 सितम्बर, 1964 ई0 को स्वीकृति प्रदान किया तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 3 अक्टूबर, 1964 ई0 को प्रकाशित हुआ।]

चिकित्सकीय तथा अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए मृत व्यक्तियों के नेत्रों का उपयोग करने के सम्बन्ध में व्यवस्था करने के लिए।

अधिनियम

भारतीय गणतन्त्र के पन्द्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कौर्नियल ग्राफ्टिंग अधिनियम, 1964 कहलायेगा।

(2) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह अधिनियम तुरन्त प्रचलित होगा।

परिभाषाएं

2–जब तक प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में–

(1) "अनुमोदित संस्था" का तार्त्पय अस्पताल या ऐसी चिकित्सा शिक्षण संस्था या चिकित्सा अन्वेषण केन्द्र से है जिसे राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए अनुमोदित करे ;

(2) मृत व्यक्ति के सम्बन्ध में "निकट सम्बन्धी" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसका सम्बन्ध मृतक से पत्नी, पति, माता, पिता, पुत्र, पुत्री, भाई, बहिन के रूप में हो या जो मृतक के स्वीय विधि के अनुसार उसका उत्तराधिकारी हो ;

(3) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है;

(4) "मान्यता प्राप्त" का तात्पर्य इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार द्वारा, ऐसी रीति से जो नियत की जाय, मान्यता प्राप्त से है ;

(5) "निबद्ध चिकित्सक" का तात्पर्य यू0 पी0 मेडिकल ऐक्ट, 1917 के उपबन्धों के अधीन निबद्ध चिकित्सक से है ; और

(6) "लावारिस शव" का तात्पर्य उस मृत व्यक्ति के शव से है, जिसका कोई निकट सम्बन्धी न हो या जिसके शव के लिए दावा उसके किसी निकट सम्बन्धी द्वारा मृत्यु के दो घंटे के भीतर न किया गया हो।

मृत व्यक्ति के नेत्रों का निकाला जाना

3–(1) यदि किसी व्यक्ति ने लिखित रूप में किसी समय अथवा मौखिक रूप में अपनी अन्तिम बीमारी के दौरान में दो या अधिक गवाहों के सामने यह इच्छा व्यक्त की हो की उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके नेत्रों का उपयोग चिकित्सकीय या अन्वेषण के प्रयोजनों के लिये किया जाय तो वह व्यक्ति जिसके कब्जे में, वैधतः उसका शव हो, उक्त प्रयोजनों के लिए शव से नेत्रों को निकालने का प्राधिकार दे सकता है, जब तक कि उसे यह विश्वास करने का कारण न हो कि उक्त प्रार्थना बाद में वापस ले ली गई थी।

---

1. उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिए दिनांक 23 नवम्बर, 1963 ई0 का सरकारी असाधारण गजट देखिए।

(2) उप धारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वह व्यक्ति जिसके कब्जे में वैधतः मृत व्यक्ति का शव हो, उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए शव से नेत्रों को निकालने का प्राधिकार दे सकता है, जब तक उसे यह विश्वास करने का कारण न हो कि –

(क) मृतक ने अपनी मृत्यु के पश्चात् अपने नेत्रों के इस प्रकार निकाले जाने के सम्बन्ध में आपत्ति व्यक्त की थी और उसने यह आपत्ति वापस नहीं ली थी; या

(ख) मृतक के किसी निकट सम्बन्धी ने मृतक के नेत्रों के इस प्रकार निकाले जाने पर आपत्ति की है।

(3) उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए मृतजात बच्चे के नेत्र उसके यथास्थिति, माता–पिता अथवा माता या पिता की सहमति से निकाले जा सकते हैं।

(4) किसी मृत व्यक्ति के सम्बन्ध में इस धारा के अधीन दिया गया प्राधिकार शव से नेत्रों को निकालने और उपर्युक्त प्रयोजनो के लिए उनका उपयोग करने के लिए पर्याप्त प्राधिकार होगा, किन्तु इस प्रकार नेत्र निकालने का कार्य, किसी अनुमोदित संस्था में काम करने वाले मान्यता प्राप्त निबद्ध चिकित्सक व्यवसायी द्वारा ही किया जायगा जिसने शव की व्यक्तिगत परीक्षा कर के अपना यह समाधान कर लिया हो कि वह निष्प्राण हो गया है ।

प्राधिकार कब नहीं दिया जायगा

4–धारा 3 के अधीन नेत्रों को निकालने का प्राधिकार न दिया जायगा :–

(क) यदि ऐसा प्राधिकार देने के लिए अधिकृत व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण हो कि तत्समय प्रचलित किसी विधि के उपबन्धों के अनुसार शव का मरणान्वेषण (Inquest) किया जा सकता है।

(ख) उस व्यक्ति द्वारा, जिसे अन्य व्यक्ति ने मृत व्यक्ति के शव को केवल उसे गाड़ने या उसका वहिकर्म करने के प्रयोजन के लिए सौंपा हो।

लावारिश शव के सम्बन्ध में प्राधिकार

5–अनुमोदित संस्था में पड़े हुए लावारिस शव की दशा में, इस अधिनियम के अधीन नेत्रों की निकालने का प्राधिकार उस व्यक्ति द्वारा जिसके नियन्त्रण या प्रबन्ध में ऐसी संस्था हो, या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसी रीति से दिया जा सकता है जो नियत की जाय।

राज्य सरकार का नियम बनाने का अधिकार

6–(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, पूर्व प्रकाशन के पश्चात् नियम बना सकती है।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशन के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों तथा अभिशून्यनों (annulments) के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान मण्डल के दोनो सदन करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

अपवाद

7–(1) इस अधिनियम के उपर्युक्त उपबन्धों की कोई बात, मृत व्यक्ति के शव या उसके किसी भाग के सम्बन्ध में किसी ऐसी कार्यवाही को अवैध करने वाली न मानी जायगी जो वैध होती यदि यह अधिनियम पारित न हुआ होता।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार नेत्रों को निकालने के लिए दिया गया कोई अधिकार, इण्डियन पीनल कोड की धारा 297 के उपबन्धों का उल्लंघन न समझा जायगा।